17वें लोकसभा चुनाव व आचार संहिता

संदर्भ-

– भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के लोकसभा चुनाव 2019 का कार्यक्रम घोषित करते ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।

- चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा की 543 सीटो के लिए आम चुनाव की घोषणा की गई।
- यह चुनाव कुल सात चरणों में संपन्न होगें। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर चुनाव होंगे। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर चुनाव होंगे। पांचवे चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे। सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे।

आचार संहिता

- देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहती है।
- आचार संहित<mark>ा लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम</mark> बदलाव हो जाते हैं।
- राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया <mark>पूरी होने तक</mark> चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह का<mark>म</mark> करते हैं
- आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष <mark>दल को</mark> फायदा पहुँचता हों।
- सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी आवास का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।
- आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यस या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं।
- किसी भी <mark>पार्टी,</mark> प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अ<mark>नुमति</mark> पुलिस से लेना अनिवार्य होता है।
- राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रख<mark>ने के लिए चुनाब आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। कोई भी राजनीतिक दल</mark> जाति या धर्म <mark>के आधार पर मतदाओं से वोट नहीं मांग सकता है। ऐसा करने पर चुनाव आयोग दंडा<mark>त्मक</mark> कार्रवाई भी कर सकता है।</mark>

आचार संहिता का उल्लंघन

- यदि कोई <mark>प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव</mark> आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।
- उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रो<mark>का जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मु</mark>कदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
- आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दं<mark>डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।</mark>
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)
- संविधान के अनुच्छेद-324 के अनुसार, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग करेगा यह एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जिनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपित आदि के चुनाव से संबंधित शक्तिया होती है। जबिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद, तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव संबंधित शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।

कार्यप्रणाली-

निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवायें।

- निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है।
- राजनैतिक दलों का पंजीकरण करता है।
- राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों-निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा।
- सांसद/विधायक की अयोग्यता (दल बदल को छोडकर) पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देना।
- गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना।

16वीं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- 16वीं लोकसभा गठन 18 मई 2014 को हुआ था। इसका कार्यकाल 2014-2019 तक था।
- 16वीं लोकसभा में कुल 17 सत्र हुए, पहला सत्र 4 जून 2014 को तथा आखिरी सत्र 13 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ।
- 16वीं लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्यों में से 62 <mark>महिलाएं हैं।</mark> इस लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.23% हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी प्रतिशत है।
- **विधेयकों की संख्या** 215 से ज्यादा सरकारी विधेयक पेश हुए तथा 205 सरकारी विधेयक पा<mark>रित हुए तथा</mark> 117 गैर-सरकारी <mark>विधेय</mark>क पेश किए गए।
- सोलहर्<mark>वीं</mark> लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात प्रधानमंत्री <mark>नरेन्द्र</mark> मोदी की अध्यक्षता में केंद्र में 2014 में एनडीए की सरकार बनी।
- 3 दशक के पश्चात केंद्र में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। सोलहवीं लोकसभा के दौरान कई ऐसे कार्य हुए जिनका देश के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा़।

16वीं लोकस<mark>भा के महत्पूर्ण घटनाक्रमः</mark>

- **कर सुधार जीएसटी (Goods and Services Tax)-** मई 2016 में 101वें संविधान संशोधन द्वारा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार हेतु GST <mark>को 1 जुलाई-2017 से लागू किया गया। इससे व्यापार में सरलता के साथ राजस्व में वृद्धि</mark> हुई व कर चोरी पर लगाम ल<mark>गाई गई।</mark>

नोटबंदी - 8 नवंबर 2016 को नो<mark>टबंदी की घोषणा के साथ 500 और 1000 के</mark> नोट प्रचलन से बाहर हो गए। इसे भ्रष्टाचार, कर चोरी आतंकवाद 'हेतु वित्त पोषण रोकने की दिशा में' कदम बताया गया।

बजट वर्ष- 2017-<mark>18</mark> से 1 फरवरी को बजट <mark>पेश करने की परंपरा शुरू</mark> की गई।

- -21 सितंबर 2016 को रेल बजट व आम बजट को एक साथ पेश करने की घोषणा की गई। इससे पहले रेल बजट व आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे। यह परंपरा पिछले 92 सालों से चली आ रही थी।
- **अविश्वास प्रस्ताव** जुलाई 2018 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो भारी बहुमत से गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 126 जबकि विरोध में 325 वोट दिए गए।
- **आर्थिक आधार पर आरक्षण** 103 वे संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
- **इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड** बैंकिंग व्यवस्था में ढांचागत सुधार करने के उद्देश्य से 2016 में यह कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए एनपीए मामलों में जल्द कार्रवाई से 2018 में उद्योगपितयो से बैंको ने 80 हजार रुपये से अधिक की राशि वसूल की।

– **तीन तलाक विधेयक** – तीन– तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा इसमें सजा की अविध 3 वर्ष की गई। – अध्यादेश के जरिए इसे गैर कानुनी करार दिया गया।

सत्रहवीं लोकसभा चुनाव की मुख्य विशेषताएं-

पहली बार किए जा रहे प्रावधान

- मतदाता 1950 पर डायल कर हर तरह की जानकारी ले सकेंगे।
- ईवीएम में उम्मीदवार की तस्वीर।
- सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए दिशानिर्देश।
- सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए दलों-उम्मीदवारों को लेनी होगी मंजूरी।
- ईवीएम की जीपीएस सिटम से ट्रैकिंग की जाएगी।
- प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर रोक।
- चुनाव में ईवीएम की जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी।

हर मशीन में होगी वीवीपीएटी की सुविधा

- इस बार सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। इससे मतदाता अपने वोट का मिलान पर्ची से कर सकेंगे। यहीं नहीं ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा। देशभर में कुल 10 लाख मतदान केंद्र होंगे। 2014 में यह संख्या नौ लाख के करीब थी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रखना होगा।

मतदाता संख्या

- 2014 से अब तक 8.4 करोड़ मतदाता बढ़े हैं। डेढ़ क<mark>रोड़</mark> मतदाता 18 से 19 साल के हैं। बीते चुनाव में 81 करोड़ वोटर थे। देश भर के 99.3 फीसद मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र हैं। 1095 पर एसएमएस के जरिए भी लोग मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
- 2014 मे<mark>ं हुए आम चुनाव <mark>के दौरान इस सदी में जन्मे लोगों की आयु 18 वर्ष नहीं थी, अ</mark>ब इस चुनाव में वे पहली बार देश की सरकार चुनने <mark>के लिए वोट डाल सकेंगे।</mark></mark>

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. यह पहला ऐसा आम चुनाव है, जब 21वीं सदी में जन्मे लोग मतदान करेगे।
- चुनाव आयोग ने एक एप जारी किया है जिसपर मतदाता किसी भी नियम के उल्लंघन को रिकार्ड कर इस एप पर भेज सकते है।
- 3. 17वीं लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित देशों द्वारा यह संभावना प्रकट की गई थी कि भारत में लोकतंत्र दीर्घकालीन रूप में स्थापित नहीं रह सकता, परंतु स्वतंत्रता के 72 वर्षों के पश्चात भी शांति पूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन भारतीय प्रजातंत्र की अद्वितीय सुंदरता है। इस कथन के आलोक में भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों की समीक्षा कीजिए।

